पत्रांक - 586 दिनांक - 17-07-2025

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ३१३।

संपत्ति - अबभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० - 391 - २०   आवेदन सं० - - - - - - २० ।

चूंकि श्री फोजा- ए- एन. महाविद्यालय ... दिवपुर ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारो और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारो और अबभारों के बारे में बही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-२००5 से ता० आजतक २०25 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अबभारों और अबभारों का पता चला :—

अबभार की मुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम: निष्पादन	पक्षों का नाम: दावेदार	दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश: जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९

मौजा - दीरना प्लॉट नं० - 700, 701 एवं 703 - जमाबंदी नं० - 14/2897, 13/2897, 7/2894 - 20/2899, 18/2899, 19/2899 हो० नं० - 25/26 - वार्ड नं० - 9 रकबा - 2.60 एकड़ उक्त दस्तावेज/लगान - online में प्रदर्शित नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी - के पत्रांक - 1166 दिनांक - 05-07-2025 में अपर समाहर्ता दिवपुर को दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर PEC निर्गत।

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ बधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यदि कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— [signature]

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A.K Chaudhary

(पदनाम) :— Clerk

कार्यालय ~~जिला, नि. देवघर~~ कार्यालय देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

[signature] ...2025

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखायें गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षीत तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की हैं और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।